



2026:AHC:44966

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट-सी संख्या-7506 वर्ष 2026

श्री दुर्गाजी इंटर कॉलेज, सेहदा एवं अन्य

..... याचिकाकर्तागण

बनाम

राज्य उत्तर प्रदेश एवं 5 अन्य

..... प्रतिवादीगण

याचिकाकर्तागण के अधिवक्ता

: आनन्द तिवारी

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता

: सी.एस.सी., रमेश्वर प्रसाद शुक्ला

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पडिया

1-इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में, तहसीलदार सदर, आजमगढ़ के हस्ताक्षर से दिनांक 25.02.2026 की प्राप्त निर्देशावली न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई, जिसे अभिलेख पर ग्रहण किया जाता है।

2-उक्त निर्देशावली के साथ, तहसीलदार सदर, आजमगढ़ द्वारा याचिकाकर्ता को प्रेषित दिनांक 24.02.2026 का पत्र भी संलग्न है, जिसमें यह उल्लेखित है कि याचिकाकर्ता को जारी दिनांक 14.01.2026 का नोटिस वापस ले लिया गया है।

3-अभिलेखों के अवलोकन के उपरांत, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री आनन्द तिवारी द्वारा अत्यंत निष्पक्ष रूप से यह निवेदन किया गया कि चूंकि उक्त नोटिस निरस्त/वापस ले लिया गया है, अतः अब कोई कारण-कार्रवाई शेष नहीं रह गई है और वर्तमान याचिका निष्प्रभावी हो गई है। तथापि, यह प्रार्थना की गई कि प्रतिवादी प्राधिकारी को निर्देशित किया जाए कि भविष्य में किसी भी कार्यवाही में इस प्रकार के आदेश पारित न किए जाएं तथा कार्यवाही विधि के अनुरूप ही प्रारंभ की जाए।

4-उक्त प्रार्थना का विद्वान स्थायी अधिवक्ता द्वारा विरोध नहीं किया गया।

5-अभिलेखागार में सुरक्षित किया जाए।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पडिया)

26 फरवरी, 2026

सकलैन

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।